न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 93/2025 G.C.M.S. No. 2025/501 दर्ज दिनांक : 08.08.2025

अपीलार्थिगण:

1. मूलाराम पुत्र मोहनलाल, आयु वयस्क
2. गुडिया पुत्री मोहनलाल, आयु वयस्क
3. पूर्णिमा पुत्री मोहनलाल, आयु वयस्क
4. बदामीदेवी पत्नि मोहनलाल, आयु वयस्क, जातिगण घांची, निवासीगण खिवान्दी ठिकाना भैरूचौक, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
5. स्व. थानाराम पुत्र परका के कायम मुकाम:—
   5/1 सुकी पत्नि स्व. थानाराम, उम्र बालिग
   5/2 नरेशकुमार पुत्र स्व. थानाराम, उम्र बालिग
   5/3 प्रवीणकुमार पुत्र स्व. थानाराम, उम्र बालिग
   5/4 शारदा पुत्री स्व. थानाराम, उम्र बालिग, जातिगण कुम्हार, निवासी खिवान्दी, ठिकाना कुम्हारों का बास, वार्ड नंबर 8 खिवान्दी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चुन्नीलाल पुत्र मगाराम, उम्र बालिग, जाति घांची, निवासी खिवान्दी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. रमेशकुमार पुत्र नाथालाल, उम्र बालिग
3. लालूराम पुत्र नाथालाल, उम्र बालिग
4. हसमुख कुमार पुत्र नाथालाल, उम्र बालिग
5. लक्ष्मीबाई पुत्री नाथालाल, उम्र बालिग
6. पुष्पाबाई पुत्री नाथालाल, उम्र बालिग
7. सेवन्तीबाई पुत्री नाथालाल, उम्र बालिग
8. दमयन्तीबाई पुत्री नाथालाल, उम्र बालिग
9. जसोदाबाई पुत्री नाथालाल, उम्र बालिग
10. जाग्रतीबाई पुत्री नाथालाल, उम्र बालिग, तमाम जातिगण सोनार, निवासीगण खिवान्दी, ठिकाना केसरिया गली, जैन धर्मशाला के पास, खिवान्दी तहसील सुमेरपुर, जिला पाली। हाल निवास प्रान्तीज, गुजरात
11. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2020 (123/2024) बअनवान चुन्नीलाल बनाम रमेशकुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025

पैरोकार—

1. श्री दीपाराम परमार, श्री रामलाल भाटी, श्री रवि राठौड़, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2020 (123/2024) बअनवान चुन्नीलाल बनाम रमेशकुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 व 5/1 से 5/4 व 6 के विरूद्ध तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र को दिनांक 17/08/2020 को राजस्व विविध संख्या 51/2018 (51/2020) पर दर्ज किया गया एवं अप्रार्थीगण (अपीलान्ट्स एवं रेस्पोन्डेट्स संख्या 2 से लगाकर 11) को नोटिस भेजे जाने के आदेश हुए। न्यायालय ने दिनांक 21/10/2020 को नोटिस जारी किये। लेकिन अपीलान्टान व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से लगाकर 10 को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 तहसीलदार साहब, सुमेरपुर को दिनांक 06/11/2020 को नोटिस अवश्य प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात दिनांक 08/09/2021 तक अप्रार्थीगण को तलबी किये जाने के आदेश होते रहे। दिनांक 08/09/2021 को तलबाना व नोटिस पेश करने के आदेश हुए एवं पेशी 14/10/2021 को रखी गई। दिनांक 08/09/2021 से लगाकर 14/10/2021 तक न्यायालय की ओर से अप्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं हुए, फिर भी दिनांक 14/10/2021 को प्रार्थी चुन्नीलाल व अप्रार्थी (अपीलान्ट) बादामी के अंगूठे प्रशासन गाँवों के संग नेतरा गांव में रखी गई। जबकि वास्तविक रुप में अप्रार्थी बादामी (अपीलान्ट) नेतरा गाँव में कभी उपस्थित नहीं हुई और न ही उसे उपस्थित होने का कोई नोटिस प्राप्त हुआ और न ही ऐसा कोई नोटिस न्यायालय द्वारा जारी किया गया एवं पेशी दिनांक 17/12/2024 को मुर्करर की गई। पत्रावली में यह गौरतलब है कि दिनांक 17/08/2020 से लगाकर दिनांक 14/11/2022 तक केवल मात्र एक बार दिनांक 21/10/2020 को नोटिस जारी होना अंकित है। तत्पश्चात् कोई नोटिस जारी नहीं हुआ एवम रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 (प्रार्थी) चुन्नीलाल द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए. आर.टी. एक्ट दिनांक 14/11/2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त किया गया। प्रकरण संख्या 51/2018 (51/2020) में दिनांक 17/08/2020 से लगाकर 14/11/2022 तक की किसी भी पेशी पर उपस्थित रहने बाबत कोई नोटिस अपीलान्टान एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2 से लगाकर 10 को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 14/11/2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक चुन्नीलाल का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में जिसे खारिज किया गया था, उस प्रार्थनापत्र को आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो प्रकरण संख्या 96/2024 पर दर्ज किया गया एवं 28/08/2024 को प्रकरण संख्या 51/2020 जो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था, को पुनः दर्ज करने के आदेश देते हुए उसे पुनः बरामद किया गया। प्रकरण संख्या 96/2024 जो दिनाँक 14/11/2022 को मूल प्रार्थनापत्र संख्या 51/2018 (51/2020) को बरामद करने बाबत् या कोई नोटिस अपीलान्टान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगाकर 10 को नहीं दिया गया। फिर भी मूल प्रार्थनापत्र को बरामद करने का आदेश देते हुए मूल प्रार्थना पत्र को बरामद करते हुए पेशी दिनांक 22/10/2024 को नियत की गई एवं दिनांक 12/10/2024 से लगाकर दिनांक 11/02/2025 तक बिना कोई नोटिस दिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/02/2025 पारित किया जो पारित करनेमें अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी व वाक्याती भारी भूल की हैं। अपीलांटान को प्रार्थनापत्र संख्या 51/2018 (51/2020) को दिनांक 17/08/2020 को दर्ज करते हुए 14/11/2022 को अदम पैरवी में खारिज किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 01/10/2024 को जरिये प्रार्थना पत्र (प्रकरण संख्या 96/2024) को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 27/02/2025 को पारित किया गया तब तक अपीलान्टान को कोर्ट की किसी भी प्रकार की कार्यवाही का ज्ञान नहीं था। निर्णय दिनांक 27/02/2025 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट बादामी को दिनांक 13/07/2025 को तहसीलदार कार्यालय सुमेरपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक/लेखा/2025/70 का बादामी देवी को दिनांक 28/07/2025 को प्राप्त हुआ। इस पर बादामी देवी ने अपने पुत्र मूलाराम जो गुजरात मेहसाणा के पास रहता है, इत्तला कर बुलाया। तहसील व उपखण्ड न्यायालय सुमेरपुर गये एवं इस सम्बन्ध में मालूम करवाया एवं दिनांक 31/07/2025 को सम्बन्धित पत्रावली एवं रेकर्ड की मांग की जो उन्हें दिनांक 01/08/2025 को प्राप्त हुई। प्राप्त होने के बाद उसी दिनांक 01/08/2025 को पाली अधिवक्ता के पास आये कानूनी राय ली, अपील तैयार की तो आज प्रस्तुत की जा रही हैं। इस प्रकार अपीलान्ट बादामी देवी को दिनांक 28/07/2025 से पूर्व अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थीं। अपीलान्ट बादामी देवी एवं अन्य अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/02/2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28/07/2025 को हुई। इस कारण सर्वप्रथम जानकारी की तिथि दिनांक 28/07/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से अपीलान्ट्स की अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 व 5/1 से 5/4 व 6 के विरूद्ध तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.02.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 27/02/2025 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट बादामी को दिनांक 13/07/2025 को तहसीलदार कार्यालय सुमेरपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक/लेखा/2025/70 का बादामी देवी को दिनांक 28/07/2025 को प्राप्त हुआ। इस पर बादामी देवी ने अपने पुत्र मूलाराम जो गुजरात मेहसाणा के पास रहता है, इत्तला कर बुलाया। तहसील व उपखण्ड न्यायालय सुमेरपुर गये एवं इस सम्बन्ध में मालूम करवाया एवं दिनांक 31/07/2025 को सम्बन्धित पत्रावली एवं रेकर्ड की मांग की जो उन्हें दिनांक 01/08/2025 को प्राप्त हुई। प्राप्त होने के बाद उसी दिनांक 01/08/2025 को पाली अधिवक्ता के पास आये कानूनी राय ली, अपील तैयार की तो आज प्रस्तुत की जा रही हैं। इस प्रकार अपीलान्ट बादामी देवी को दिनांक 28/07/2025 से पूर्व अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थीं। अपीलान्ट बादामी देवी एवं अन्य अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/02/2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28/07/2025 को हुई। इस कारण सर्वप्रथम जानकारी की तिथि दिनांक 28/07/2025 से अपीलान्ट्स की अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब विद्यमान नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजदूगी में पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट द्वारा जानबूझकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कारित नहीं किया गया है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा खातेदारी आराजी खसरा संख्या 357 तक पहुंच के लिए रास्ते की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 17.08.2020 को प्रार्थना पत्र संख्या 51/2018 पर दर्ज किया गया है। पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत रही तथा दिनांक 14.11.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके रेस्टोर हेतु प्रार्थी द्वारा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2024 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सूचित किए बिना दिनांक 28.08.2024 को ही स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र पुनः सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2024 की पालना में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 51/2018 में अग्रिम विचारण कार्यवाही संपादित नहीं कर प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 के रूप में दिनांक 01.10.2024 को दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण सीधे बहस हेतु नियोजित किया है। प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वर्ष 2023 में भी प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 17.08.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 64/2023 के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। जोकि दिनांक 26.06.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2024 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय में ही आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत पुनः नवीन पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 96/2024 दिनांक 28.08.2024 को दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन निर्णित करते हुए स्वीकार किया गया। स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी भी स्तर पर अर्थात मूल प्रार्थना पत्र संख्या 51/2018 रेस्टोर प्रार्थना पत्र संख्या 64/2023, पश्चातवर्ती रेस्टोर प्रार्थना पत्र संख्या 96/2024 एवं अपीलाधीन प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 किसी में भी किसी भी स्तर पर अप्रार्थीगण को सूचित व तामील नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है। जो प्रथमदृष्टया काबिल अपास्त है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र संख्या 51/2018 के रेस्टोर हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 64/2023 जोकि दिनांक 26.06.2024 को अदम हाजरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अदम पैरवी में खारिज हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील दर्ज किए बिना अधीनस्थ न्यायालय में ही आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत पश्चातवर्ती रेस्टोर प्रार्थना पत्र संख्या 96/2024 प्रस्तुत कर दिया गया। जोकि विधिवर्जित था। क्योंकि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में ही पुनः रेस्टोर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार निहित नहीं था एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति पर विचार किए बिना व किसी भी स्तर पर अप्रार्थीगण की तलबी किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जो विधिविरूद्ध होने से सर्वथा काबिल अपास्त है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2020 (123/2024) बअनवान चुन्नीलाल बनाम रमेशकुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली